प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि बिवाद निराकरण वाद सं० 61/12 – 13
विश्वकर्मा सिंह बनाम् रमेश सिंह एवं अन्य

आदेश

आवेदक विश्वकर्मा सिंह पिता स्व०चन्द्रमा सिंह ग्राम कमता मठिया थाना परासी अंचल कलेर जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन पर से विपक्षीगण का अवैध कब्जा हटाकर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम कामता थाना नं०129 थाना परासी अंचल कलेर जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
177	404	33 डी०	उ०– मनमोकिर (बिकेता) द०– बैजनाथ सिंह पू०– जागा महतो प०– राजेश्वरी देवी
236	252	15 डी०	उ०– नम्बर हाजा प्लौट द०– मनमोकिर (बिकेता) पू०– मनमोकिर (बिकेता) प०– दुधेश्वर सिंह
211	258	04 डी०	उ०– जुगती सिंह द०– मनमोकिर पू०– शिखदत सिंह प०– दुधेश्वर सिंह
211	258/3693	02 डी०	उ०– जुगती सिंह द०– मनमोकिर पू०– शिखदत सिंह प०– दुधेश्वर सिंह
211	261	06 डी०	उ०– जुगती सिंह द०– मनमोकिर सिंह पू०– शिखदत सिंह प०– दुधेश्वर सिंह
178	3694	10 डी०	उ०– जुगतीं सिंह द०– मनमोकिर पू०– शिखदत सिंह प०– दुधेश्वर सिंह
211	261/3695	05 डी०	उ०– जुगती सिंह द०– मनमोकिर पू०– शिखदत सिंह प०– दुधेश्वर सिंह
329	398	27 डी०	उ०– ललन दुबे द०– सहवीर यादव पू०– मनमोकिर प०– रामजी यादव

38	255	11 डी०	उ०– करहा द०– शितल महतो पू०– राधे कुम्हार प०– मनमोकिर
211	143	02 डी०	उ०– ललन दुबे द०– जगदीश दुबे पू०– राजनाथ सिंह प०– रामजी दुबे
211	143/3659	03 डी०	उ०– ललन दुबे द०– जगदीश दुबे पू०– राजनाथ सिंह प०– रामजी दुबे

वाद की प्रविष्टि की गई और विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

विपक्षीगण वाद में उपस्थिति होकर अपना आपति दाखिल किया,परन्तु सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित जमीन आवेदक के पत्नी आशा देवी को वजरीये निबंधित वसिका सं० 6225 दिनांक 27.06.90 से रकवा 33 डी० एवं बड़े पुत्र जय प्रकाश सिंह को वजरीये निबंधित वसिका सं० 6258 दिनांक 27.06.90 को रकवा 70 डी०तथा छोटे पुत्र चंद्रशेखर सिंह को वजरीये निबंधित वसीका सं०6255 दिनांक 27.06.90 को रकवा 15 डी०भूमि प्राप्त है तथा भूमि का दाखिल खारिज आवेदक के पत्नी एवं पुत्र के नाम हो चुका है एवं बिहार सरकार को राजस्व का भुगतान किया जा रहा है।

(2) उक्त भूमि आवेदक द्वारा ही अपनी पत्नी व पुत्रों के नाम नीजि आय से खरीद की गई है तथा आवेदक ही परिवार के कर्त्ता हैं जिसके कारण वाद आवेदक द्वारा लायी गई है एवं वाद लाने एवं भूमि पर अधिकार धोषित करने हेतु आवेदक के पत्नी एवं पुत्रों के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दी जा चुकी है।

(3) आवेदक राज्य से बाहर कलकता में नौकरी करते है तथा पुत्रगण शिक्षारत है जिसके कारण आवेदक विवादित जमीन को जोत कोड़ आबाद करने हेतु विपक्षीगण को दे दिया था।

(4) विपक्षीगण आवेदक की भूमि को जोत–कोड़ आबाद करने के बदले न तो अनाज ही दे रहे है और ना ही भूमि को ही छोड़ने को तैयार है जिसके कारण आवेदक उक्त आशय की आवेदन पत्र जिला पदाधिकारी,अरवल के समक्ष दाखिल कर भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाने का अनुरोध किया है।

(5) विपक्षीगण ने अपने आपत्ति आवेदन में हकियत वाद सं० 101/93 का जिक किया है। इस संबंध में कहना है कि उक्त हकियत वाद में विपक्षीगण पक्षकार नहीं थे। सत्य यह है कि वर्ष 1993 में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विवाद भूमि पर खड़ा कर दी गई थी जिसके बाद उक्त वाद आवेदक के पारिवारिक सदस्यों द्वारा श्याम राजी देवी वनाम् रामनरेश राम वगैरह के विरूद्व दर्ज करायी गई थी। परन्तु कुछ दिनों के बाद उक्त वाद के विपक्षीगण जब भूमि पर से अपना दावा वापस ले लिया तो वाद पैरवी के अभाव में

खारिज हो गई है न कि भूमि पर किसी मंदिर,मठ या व्यक्ति विशेष के पक्ष में आदेश पारित हुआ है।

(6) विपक्षीगण के सदस्य रमेश सिंह जो कि भाकपा माले के ग्राम कमिटी के सचिव है और अन्य सदस्यगण की उपस्थिति में उक्त ग्राम के आम जनता की बैठक दिनांक 24.12.10 में हुई थी तथा निर्णय लिया गया था कि आवेदक विश्वकर्मा सिंह एवं उनके भाई महानंद सिंह की भूमि पर से वे लोग अपना दावा (झण्डा) वापस ले रहे है तथा आवेदक अपने स्वयं खेती करेगें जो कि एक साक्ष्य है कि भूमि आवेदक की है। इसके बावजूद विपक्षीगण भूमि पर बलात् कब्जा रखना चाह रहे है।

(7) दिनांक 26.07.12 को विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि की जुताई बाजबरदस्ती करना प्रारंभ कर दिये थे,जिसके बाद आवेदक की ओर से अनुमंडल दण्डाधिकारी,अरवल के न्यायालय में धारा 144 द०प्र०सं०वाद सं० 782/12 विपक्षीगण के विरूद्व दर्ज करायी गई थी। उक्त वाद में दिनांक 20.09.12 को अंतिम आदेश आवेदक के पक्ष में पारित किया है।

(8) हकियत वाद सं० 10/93 के विपक्षीगण वर्ष 2009 में एक शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार किया है कि हकियत वाद में शामिल भूमि आवेदक एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों की भूमि हैं।

(9) विवादित जमीन पर खरीदगी के पूर्व विक्रेता अनिल कुमार पिता भगवती प्रसाद का दखल कब्जा था,तथा खरीदगी उपरान्त आवेदक का दखल कब्जा रहा है एवं जोत कोड़ हेतु विपक्षीगण को आवेदक द्वारा ही दिया गया था।

(10) अगर भूमि किसी मंदिर,मठ की होती तथा विपक्षीगण या उनके पूर्वज किसी मंदिर,मठ के सेवायत होते तो अवश्य ही उनकी ओर से उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता जिससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण का कथन पूरी तरह असत्य व बनावटी हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित जमीन पर आवेदक का अधिकार धोषित करते हुए भूमि पर आवेदक को कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षीगण ने अपने आपत्ति में लिखा है कि विवादग्रस्त भूमि स्थानीय मंदिर की है और द्वितीय पक्ष के पूर्वज और द्वितीय पक्ष सेवायत का कार्य करते है और आमदनी से मंदिर की देखभाल वो दिगर खर्च करते चले आ रहे है। परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्राधिकार के समक्ष दाखिल नहीं किया गया । अतः उनके आपत्ति को खारिज किया जाता है। विपक्षीगण ने यह भी लिखा है कि प्रश्नगत भूमि आशा देवी,पत्नी पुत्र जय प्रकाश सिंह एवं चन्द्रशेखर सिंह की है किन्तु यह तीनों इस वाद के वादी नहीं है,इसलिए यह वाद नन ज्वाइंडर ऑफ पार्टी से ग्रसित हैं। इसके जवाब में अपनी पत्नी,एवं पुत्रों द्वारा शपथ पत्र कि आवेदक के नाम विवादित जमीन का अधिकार की धोषणा होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है,आवेदक द्वारा दाखिल किया गया हैं। आवेदक द्वारा दाखिल दिनांक 24.02.10 को आम सभा की प्रति,दिनांक 05.11.09 को सुरेश राम वगैरह का शपथ,वाद सं० 782/12 धारा 144 द०प्र०सं०में दिनांक 20.09.12 को पारित कार्यपालक दण्डाधिकारी,अरवल का आदेश एवं वसिका सं० 6225,6258 एवं 6255 दिनांक 27.06.90 प्रमाणित करते है कि विवादित जमीन आवेदक के परिवार के सदस्यों का है। चुँकि परिवार के सदस्यों द्वारा आवेदक

के पक्ष में विवादित जमीन के अधिकार का घोषणा हेतु अपना अनापत्ति दिये है,प्राधिकार विवादित जमीन पर आवेदक के अधिकार की घोषणा करती है। साथ ही अंचल अधिकारी,कलेर को आदेश देती है कि वे विवादित जमीन से एक माह के बाद विपक्षीगण का अवैध कब्जा हटाकर आवेदक को कब्जा दिलाये। आवेदक के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।